छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 19/2006

डॉ के.के. मिश्रा ---------- अपीलार्थी
सहायक प्राध्यापक
(राजनीतिक विज्ञान विभाग)
शा. महाविद्यालय, सीपत, बिलासपुर
निवास- बी/38, क्रांति नगर, बिलासपुर
(छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी ---------- प्रतिअपीलार्थी
कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(23 सितम्बर 2006)

श्री के.के. मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय, सीपत के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से दिनांक 09.09.88 को लेक्चरर राजनीति विज्ञान चयन समिति की कार्यवृत्त तथा 30.09.88 के कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवृत्त तथा चयन समिति की अनुशंसा की प्रतिलिपि चाही गई थी। अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में जानकारी न मिलने पर द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें कि आयोग के द्वारा दिनांक 20 अप्रेल 2006 को आदेश पारित किया गया था कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है यदि रिकार्ड विनिष्टीकरण नहीं किया है तो उसको खोजा जावे। यदि नष्ट किया गया है तो विनिष्टीकरण के बारे में विश्वविद्यालय के प्रावधानों से अपीलार्थी को अवगत कराया जावे। आयोग ने 15 दिन के अंदर स्पष्ट उत्तर अपीलार्थी को दिये जाने के संबंध में जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये थे। विश्वविद्यालय के द्वारा अभिलेख प्रदान न करने के संबंध में आयोग के निर्देश का पालन न करने के लिए अपीलार्थी ने विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया।

2. आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया कि निर्धारित अवधि में आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण तथा जानकारी उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी पर 25,000/– रूपए की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे, का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जन सूचना अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि विश्वविद्यालय में वांछित कार्यविवरण की खोजबीन का प्रयास किया गया। इस हेतु एक समिति का भी गठन कर दिया गया है। कार्यालय के ऐसे कर्मचारियों से जो पूर्व कुलपति तथा कुल सचिव के कार्यालय में कार्य करते रहे हैं उनसे भी लिखित में जानकारी ली गई। चयन समितियों का कार्यविवरण का रिकार्ड नहीं रखा गया है और नहीं ही इन्हें विनिष्टीकरण किये जाने का कोई प्रमाण प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय की नियमों एवं अधिनियमों में अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत चयन समिति के कार्यवृत्त की विनिष्टीकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है अतः अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने एक याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो कि खारिज की चुकी है। प्रतिअपीलार्थी ने जवाब में बतलाया कि अनुपमा सिन्हा की गलत नियत को छुपाने के लिए रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अपीलार्थी का यह मत है कि अनुपमा सिन्हा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएँ न होने पर भी नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने स्वयं को निर्धारित योग्यता संपन्न मानते हुए स्वयं को उक्त पद पर नियुक्त किये जाने की योग्यता बतलाई।

3. आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्को एवं उनके लिखित उत्तर पर विचार किया गया। जन सूचना अधिकारी, विश्वविद्यालय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रयास करने के बाद भी विश्वविद्यालय में अभिलेख उपलब्ध नहीं है, अतः अपीलार्थी को अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थता है। अभिलेख वर्ष 1988 से संबंधित है तथा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसकी सूचना अपीलार्थी को भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा दी जा चुकी है। शेष जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

4. चूंकि अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऐसे अभिलेखों की प्रति दी जा सकती है जो कि कार्यालय की पहुंच के अंदर हो। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रयास करने के उपरांत भी अभिलेख उपलबध नहीं हुए है अतः उनकी प्रतिलिपि न दिये जाने के फलस्वरूप यह माना जाता है कि अभिलेख उपलबध न कराने के लिए जन सूचना अधिकारी उत्तरदायी नहीं है तथा इस बात का कोई प्रमाण अपीलार्थी ने उपलब्ध नहीं कराया है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबुझकर अथवा द्वेषवश अभिलेख उपलब्ध होते हुए भी अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी के आवेदन पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त